न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग(भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री साधुराम जाट आर0ए0एस0

मु0स0 129 / 2016 राजस्व वाद

कालीचरन पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी ग्राम बछगांव (सौंख) तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ.प्र.)

—सायल

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी निवासी ग्राम पास्ता तहसील डीग जिला भरतपुर
2. समला पत्नि सियाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेऊ तहसील डीग जिला भरतपुर
3. हितेश पुत्र मुरारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम पास्ता तहसील डीग जिला भरतपुर

—गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उप0

1. श्री प्रवीण चौधरी, अधि0 सायल
2. श्री अनिल कुमार गुप्ता—गैरसायल

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक–05.09.2019

निर्णय

सायल द्वारा आराजी ख0 नं0 891/0.21, 1533/0.34, 1536/0.36, 1554/0.24, 1557/0.23, 1558/0.66, 2771/0.12, 2772/0.41, 3072/0.48, 3073/0.19, 3074/0.24 वाके ग्राम पास्ता तह0 डीग की बावत एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज0 टि0 एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि गैरसायल सं0 1 भीम सिंह के कोई पुत्र नहीं था और गैरसायल सं0 1 भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम माया था । उक्त माया का विवाह बछगांव तह0 गोवर्धन जिला मथुरा उ0 प्र0 में हुआ था । उक्त माया से सायल एवं वादपत्र के तरतीवी प्रतिवादीगण पैदा हुये । गैरसायल सं0 1 भीम सिंह ने कोई पुत्र ना होने के कारण अपने 1/3 हिस्सा में से हिस्सा 1/2 आराजी का कब्जा माया को उसके जीवनकाल में दे दिया था जिसके मरने के बाद अब सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं । भीम सिंह ने अपने हिस्सा 1/3 की आराजी का नुमायशी तौर पर दिनांक 25.07.2016 को गैरसायल सं0 3 हिरतेश तथा गैरसायल सं0 2 के पक्ष में वयनामा तहरीर एवं तस्दीक करा दिया है जो उसने अपने हिस्से की आराजी से अधिक आराजी का कराया है जबकि उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें सायल का जन्म से ही अधिकार है आदि । उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर होकर गैरसायलान को तलब किया गया । गैरसायलान ने उपस्थित आकर अपना जवाव इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी का हिस्सा 1/3 गैरसायल सं0 1 भीम सिंह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसे भीमसिंह ने दिनांक 25.07.2016 को पृथक पृथक वयनामाओं से गैरसायल सं0 2 व 3 के पक्ष में बेचान कर दिया है और बेचान के पश्चात विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 2 व 3 काबिज काश्त हैं । सायल की माता को गैरसायल सं0 1 ने कभी कोई आराजी काश्त पर नहीं बताई और ना ही सायल का कोई कब्जा विवादित आराजी पर है, सायल ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत दावा पेश किया है गैरसायल सं0 1 जो कि सायल का नाना लगता है, कि जीवित अवस्था में सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण कोपार्सनर नहीं है ना ही संयुक्त हिन्दू

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

परिवार का गठन करते हैं इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । गैरसायलान ने अपने जवाब के समर्थन में फोटो प्रति वयनामा दिनांक 25.07.2016 किता–2 प्रस्तुत किये जबकि सायल ने हाल जमाबंदी की फोटो प्रति प्रस्तुत की । हमने अधिवक्ता सायल व गैरसायल की बहस सुनी जाकर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मुख्य घटक का विवेचन निम्न प्रकार है ।

प्रथम दृष्टया पक्ष :– सायल का अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्य कथन यह है कि भीम सिंह उनका नाना लगता है और भीम सिंह ने अपने हिस्सा की आराजी में से हिस्सा 1/2 की आराजी को सायल की माता माया को काश्त करने को दे दिया था और सायल अपनी माता की मृत्यु के बाद से काश्त करते हैं और सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा गैरसायल सं0 1 की जीवित अवस्था में विवादित आराजी में अपने अधिकारों की मांग की है जबकि गैरसायलान ने सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण के दावा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरोध किया है जिसमें उन्होंने मुख्यतया यह कथन कहा कि सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को गैरसायल सं0 1 की जीवित अवस्था में जो कि उनका नाना लगता है, कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार है और उसे अपनी आराजी को रहन, वय, मुंतकिल करने का अधिकार प्राप्त है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण सं0 10 लगायत 13, गैरसायल सं0 1 की पुत्री माया के पुत्र हैं जो कि गांव बछगांव के निवासी हैं । गैरसायल सं0 1 जो कि उनका नाना लगता है अभी जीवित है और मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम नाना की जीवित अवस्था में नवासों को उसकी आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और ना ही उनको दावा करने का अधिकार प्राप्त है । सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रथम दृष्ट्या पेश नहीं किया जिससे उनकी मां को गैरसायल सं0 1 द्वारा आराजी काश्त पर देना स्पष्ट होता हो । गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.07.2016 से गैरसायल सं0 2 व 3 को बेचान किया है । गैरसायल सं0 2 व 3 के बोनाफाईड परचेजर विद वैल्यू हैं इसलिए प्रथम दृष्ट्या सायल का कोई प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु साबित नहीं होता है ।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी की आराजी है जिसे उसने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा गैरसायल सं0 2 व 3 को बेचान किया है । गैरसायल सं0 2 व 3 ने गैरसायल सं0 1 को जरे वय अदा कर अपने पक्ष में वयनामा कराया है और गैरसायल सं0 2 व 3 को विवादित आराजी का कब्जा भी हस्तातरित होना अपने जवाव में दर्ज किया है । सायल द्वारा अपने नाना की आराजी पर उसके जीवनकाल में ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रक व पुस्तैनी आराजी के आधार पर दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है । सायल के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या हम कोई प्रकरण साबित नहीं मानते हैं ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में स्पष्ट हैं ।

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है, तथा जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.08.2016 वेकेट किया जाता है ।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.